आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
19.10.15	न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा **अपराध नियंत्रण वाद सं0 107/2015** **सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण** **बनाम** **बब्लु सिंह, थाना-जनता बाजार** आदेश पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5615/चुनाव/गो0, दिनांक 11.10.2015 के द्वारा सकिय असामाजिक तत्व बब्लु सिंह, पिता-जनार्दन सिंह, सा0-सेन्दुआर, थाना-जनता बाजार, जिला-सारण के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक 3293, दिनांक 30.09.15 पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित कांडों को आधार बनाया गया हैः- 1. जनता बाजार थाना कांड संख्या-51/2012, दिनांक 05.06. 2012 धारा-395/364(ए)/ 302/201 भा0द0वि, आरोप पत्र संख्या 98/12, दिनांक 05.09.12 2. जनता बाजार थाना कांड संख्या 41/12, दिनांक 04.05.12 धारा 341/323/337/ 379/504/34 भा0द0वि, आरोप पत्र संख्या 73/12, दिनांक 31.07.12 3. जनता बाजार थाना कांड संख्या 13/09 दिनांक 04.02.09 धारा 341/323/325/379/ 307/337/338/34 भा0द0वि, एवं 27 आर्म्स एक्ट, आरोप पत्र संख्या 07/10, दिनांक 29. 08.2010 इसके अतिरिक्त, आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर आपके द्वारा अपने क्षेत्र में आम जनता में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके विरुद्ध इस संबंध में सनहा संख्या 45/15 दर्ज किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 872, दिनांक 12.10.2015 के द्वारा विपक्षी से कारण पृच्छा किया गया, एवं दिनांक 19.10.2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसे विपक्षी के द्वारा दिनांक 16.10.2015 को प्राप्त किया गया है। थानाध्यक्ष जनता बाजार के ज्ञापांक 3088, दिनांक 16.10.2015 पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा के ज्ञापांक आर0 3564, दिनांक 16.10.2015 के द्वारा तामिला प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। नोटिस पर प्राप्तकर्ता सुनचा देवी के द्वारा अपने अगूँठे का अंकित करते हुए सूचित किया	

गया है कि विपक्षी यहाँ पर नहीं है, वह अपने परिवार को लेकर राँची में रहता है। सुनवाई की तिथि 19.10.2015 को विपक्षी स्वयं या अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना कोई लिखित जबाव ही दाखिल किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक,सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि नोटिस पर अंकित प्राप्तकर्ता के प्रतिवेदन पर विश्वास करना उचित नही होगा। संभव है कि वह अपने थाना क्षेत्र में मौजूद हो और जिला प्रशासन को गुमराह करने के लिए किसी से इस तरह का प्रतिवेदन अंकित करवा दिया गया हो। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्दे नजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए विपक्षी के विरूद्ध धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण छपरा को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत मैं पाता हूँ एवं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि नोटिस पर अंकित प्राप्तकर्ता का प्रतिवेदन पर विश्वसनीय प्रतीत नही होता है। संभव है कि विपक्षी बब्लु सिंह, पिता-जनार्दन सिंह, सा0-सेन्दुआर, थाना-जनता बाजार, जिला-सारण अपने थाना क्षेत्र में मौजूद हो और जिला प्रशासन को गुमराह करने के लिए किसी से इस तरह का प्रतिवेदन अंकित करवा दिया गया हो। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्दे नजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए विपक्षी के विरूद्ध धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित है। अतः मैं बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता हूँ कि **इस आदेश की तामिला की तिथि से 12.11.2015 तक विपक्षी को जिला बदर किया जाता है। विपक्षी को निर्देश है कि वे आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जिला विधि शाखा, सारण, छपरा में इस आशय का शपथ** पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि जिला बदर की **अवधि के दौरान वे किस जिला के किस थाना के अंतर्गत निवास करेंगे, ताकि संबंधित जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से विपक्षी के निकटवर्ती थाना में प्रतिदिन दो बार 9 बजे प्रातः एवं सायं 5.00 बजे अपनी हाजिरी अंकित करने संबंधी साप्ताहिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सके।**

विपक्षी को निर्देश है कि वे अविलंब विभाग के द्वारा प्रावधानित प्रपत्र में रूपये 20,000(बीस हजार) मात्र का इस आशय से संबंधित बंधपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें कि आगामी विधान सभा चुनाव 2015 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। आदेश एवं बंधपत्र की शर्त्तों की अवहेलना की स्थिति में विपक्षी के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस जिले में मतदान दिनांक 28.10.2015 को निर्धारित है। विपक्षी को निर्देश है कि मतदान की तिथि को सर्वप्रथम जनता बाजार थाना पर प्रातः 7:00 बजे अपनी हाजरी अंकित करेंगे तथा संध्या 6:00 बजे तक थाना पर ही मौजूद रहेंगें। थानाध्यक्ष जनता बाजार को निर्देश है कि वे अपनी देख-रेख में विपक्षी को उनसे संबंधित बूथ पर ले जाकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगें।

उक्त आदेश की अवधि दिनांक 12.11.2015 को संध्या 6:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् यह स्वतः विलोपित समझा जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 934 /न्या0, दिनांक 19.10.15

प्रतिलिपिः-पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः-थानाध्यक्ष, जनता बाजार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-बब्लु सिंह, पिता-जनार्दन सिंह, सा0-सेन्दुआर, थाना-जनता बाजार, जिला-सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

19/10/15

CCA. 107-15 Bablu singh Dhara 3